श्री मनोज

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स शिवशंकर कौशिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, निदेशक—श्री कुमार सौरव, पिता—श्री मनोज कुमार सिंह, पता—क्षत्रिय कॉलोनी, रामनगर अंदर ढाल, सीवान द्वारा भोजपुर सोन —21 बालू घाट मौजा—बागा, ब्लॉक—संदेश, जिला—भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 31.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, जिला—भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0—एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2254/2022, dated 27.01.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 31.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, जिला—भोजपुर में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक—1**)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 28.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल—कण की रोक—थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू—जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (920 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री वैद्य राज कृष्ण, ग्राम–कादीचक, थाना–संदेश जिला–भोजपुर	इनके द्वारा बताया गया कि सोन नदी में बालू नहीं है। हमलोग नदी के किनारे बसे हैं, तो हमें ही खनन के होने वाले कुप्रभाव को क्षेलना पड़ता है। सड़क पर दूर्घटना होते रहती है। लोग नदी के गढ़े में डूबकर मर जाते हैं। हर घाट पर 03 मीटर बालू खनन की बात कहकर 10 मीटर तक खनन किया जाता है। चापाकल बोरिंग सूख रहा है। सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी कारण बार–बार केस किया जाता है, रोड जाम किया जाता है। इनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित घाट पर बालू उपलब्ध नहीं है। मानसून आने के बाद बालूहोने को दावा खनिज विकास पदाधिकारी करते हैं। अगर मानसून के बाद बालू आ जाय, तो इस परियोजना पर विचार किया जाय। तब तक के लिए सारा कार्रवाई (प्रोसेस) रोक दी जाय। इनके द्वारा बताया गया कि ये बालू खनन के विरोधी नहीं हैं। नियम के विरूद्ध खनन किये जाने के विरोधी हैं।
2.	श्री भोला चौधरी, पिता–स्व0 विष्णु चौधरी, ग्राम–त्रिकौल, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि ये गरीब परिवार से आते हैं। इनके द्वारा 26 नं0 कलस्टर में 4 नं0 घाट का संचालन तीन महीने तक किए हैं। इसके बाद इनका घाट बंद करा दिया गया। फिर से घाट का संचालन दबंगों द्वारा किया जा रहा है। रोज करीब 100 ट्रक निकल रहा है। सरकार द्वारा गलत कार्रवाई कर गलत निर्णय लिया गया है।
3.	श्री दीपक कुमार सिंह, ग्राम–चिल्हार, जिला– भोजपुर ।	इनके द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में खनन होने के कारण काफी धूल उड़

		रहा है। कोई सुधार नहीं है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह लोक–सुनवाई सोन–21नं0 घाट के लिए खनन प्रस्तावित है। वर्त्तमान में खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
4.	श्री धन्जीत कुमार, पिता–श्री महेश सिंह, ग्राम–चिपुरा, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि धूल से काफी प्रदूषण है। खेत बर्बाद हो रहा है। नदी में अधिक गढ़ा हो जाने से बच्चे को डूबने का डर बना रहता है।
5.	श्री मिथिलेश कुमार यादव, पिता–श्री जय राम यादव, ग्राम–बागा , जिला–भोजपुर ।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन से पानी की समस्या हो गयी है। नदी में गढ़ा अधिक होने से खतरा है। बालू के ढोने के लिए रास्ता आबादी के बीच से ही बना लिया जाता है।

ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बालू का खनन नियमानुसार नहीं किया जाता है। नियम के विरूद्ध खनन होने के कारण ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। शिकायत करने के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाता है। घाट पर बालू नहीं रहने पर भी बालू खनन के लिए घाट प्रस्तावित किया जाता है। खनिज विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि (खान निरीक्षक) द्वारा बताया जाता है कि मैनसून के बाद बालू आ जायेगा। अगर मैनसून के बाद बालू उपलब्ध होता है, तो प्रस्ताव पर कार्रवाई किया जाय। इस बीच इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया जाय।

ग्रामीणों द्वारा उपस्थिति सूचि में हस्ताक्षर करने से भी इनकार किया गया।

जन–सुनवाई के अंत में अध्यक्ष महोदय उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास घदाधिकारी
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स शिवशंकर कौशिक इंफास्ट्रक्चर प्रा० लि०, निदेशक-श्री कुमार सौरव द्वारा सोन 21 बालू घाट, मौजा-बागा, अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुनील कुमार पाण्डेय	निदेशक, डी.आर.डी.ए. भोजपुर।	[illegible] 31/05/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	अ० प्रशा० बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[illegible] 31-5-23
3.	चन्दन कुमार आजाद	खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय भोजपुर	Chandan Azad 31/05/23.
4.	Shashi Kapoor Pd	अधिकृत हस्ताक्षरी	Shashi Kapoor 31/05/23
5.	कुन्दन कुमार		
6.	दिव्य देव रंजन	"	
7.	विनोद कुमार	ग्राम पोस्ट थाना संदेश	विनोद कुमार
8.	नीतीश कुमार	P & M Solution Raja Bazar, Patna	Nitish [illegible]
9.			
10.			
11.			
12.			